



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/169

20/05/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) के अंतर्गत तरजीही व्यापार मार्ग के कम उपयोग पर तत्काल इनपुट - (थाईलैंड को निर्यात)

हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि वाणिज्य विभाग आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) के अंतर्गत तरजीही व्यापार मार्ग के कम उपयोग के बारे में उद्योग से प्रतिक्रिया मांग रहा है, विशेष रूप से थाईलैंड को प्लास्टिक निर्यात के संबंध में।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे थाईलैंड को निर्यात करते समय आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ AITIGA के कम उपयोग या गैर-उपयोग के कारणों को साझा करें, ताकि निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।

वाणिज्य विभाग द्वारा कम उपयोग के रूप में पहचाने गए उत्पादों की सूची आपके संदर्भ और आवश्यक इनपुट के लिए संलग्न है।

आपके इनपुट सरकार को उद्योग की चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने और थाईलैंड के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए उचित उपाय करने में सहायता करेंगे।

कृपया नीचे दिए गए प्रारूप में अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करें। एक त्वरित प्रतिक्रिया की बहुत सराहना की जाएगी, क्योंकि मामला समय-संवेदनशील है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने इनपुट bharti@plexconcil.org; niyati@plexconcil.org पर 20 मई 2025 को शाम 5 बजे तक भेजें।

अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक देखने के लिए यहां [क्लिक करें](#)।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद